

कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश

220, राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) दूरभाष 0755-2559537,

EPABX 2 559345, 2559346, 2559347, 2559348 Fax- 2550972

Email: prirevcom@mp.gov.in, Website: www.prc.mp.gov.in

क्रमांक PRC/IT/04/0029/2021-IT Cell-PRC/8143

भोपाल दिनांक 14/12/2023

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय: **RCMS Portal में साइबर तहसील Module का उपयोग करने के संबंध में निर्देश।**

संदर्भ: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022 एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-5/2022/सात/7 दिनांक 10.08.2023

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित अधिसूचना तथा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022 की कंडिका-4 का अवलोकन करने का अनुरोध है, जिसके अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा धारा 109 की उप धारा (2) के अधीन प्रज्ञापना प्ररूप-क में, निष्पादक की घोषणा प्ररूप-क-1, दावेदार की घोषणा प्ररूप-क-2 तथा मामले की फीस की रसीद के साथ, रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट पर ऑनलाईन भेजी जावेगी। ऐसी प्रज्ञापना, भूमि में अधिकारों या हितों के अर्जन के बारे में, धारा 109 के अधीन यथा अपेक्षित रिपोर्ट मानी जाएगी।

IGRS से प्राप्त उपरोक्त प्रज्ञापना पर RCMS में नामांतरण प्रकरण मद अ-6 में क्षेत्रीय तहसीलदार के दायरे में पंजीबद्ध हो जावेगा। ऐसे पंजीकृत विक्रय पत्र जो साइबर तहसील के लिए विहित रीति को पूर्ण करते हैं, विचारण के लिए साइबर तहसीलदार के लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेंगे। साइबर तहसीलदार के द्वारा पक्षकारों को सुनवाई के लिए बिना आहुत कर प्रकरण का विनिश्चय ऑनलाईन किया जावेगा। साइबर तहसीलदार के लिए संपूर्ण कार्यवाही ऑनलाईन किए जाने हेतु RCMS पर Cyber Tehsil माड्यूल तैयार किया गया है।

2. इस Module को प्रयोग में लाने के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

2.1 **रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रज्ञापना प्रस्तुत किया जाना :-** रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विक्रय पत्र निष्पादन के समय निष्पादक की घोषणा प्ररूप क-1, दावेदार की घोषणा प्ररूप क-2 भी भरवाएगा और मामले की फीस की रसीद, विक्रय पत्र के साथ प्रज्ञापना प्ररूप-क में साइबर तहसीलदार को प्रेषित करेगा। ऐसे मामले, जिनमें संपूर्ण खसरा संख्यांक या भूखंड संख्यांक अंतरित हो रहा है और अंतरण के परिणाम स्वरूप प्रश्नाधीन खसरा या भूखण्ड को उपविभाजित करने की आवश्यकता नहीं है तथा अंतरित होने वाला खसरा संख्यांक या भूखण्ड संख्यांक खाते में एकल भूमि स्वामी द्वारा धारित है या खाते में के समस्त भूमि स्वामियों के द्वारा इस प्रकार का अंतरण किया गया है, साइबर तहसील की वाद सूची में भी प्रदर्शित होंगे।

2.2 **रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा दस्तावेज के निष्पादक व दावेदार को सूचना पत्र की तामीली :-** रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दस्तावेज के निष्पादन के समय ही निष्पादक एवं दावेदार को साइबर तहसीलदार की ओर से जारी सूचना पत्र प्ररूप- च की प्रति उपलब्ध

- करायेगा। इस सूचना पत्र में प्रकरण का विचारण साइबर तहसीलदार के समक्ष किये जाने और यदि कोई आपत्ति है तो उसे प्रस्तुत किये जाने की लिंक उपलब्ध कराई गई है।
- 2.3 **आवेदन का क्षेत्रीय तहसीलदार के वाद सूची में प्रदर्शित होना :-** कंडिका 2.1 में वर्णित प्रकार के विक्रय विलेख जो साइबर तहसील के लिए अनुज्ञेय है, IGRS के माध्यम से क्षेत्रीय तहसीलदार की वाद सूची में प्रदर्शित होने लगेंगे। वहाँ यह फ्लेग होगा कि यह मामला साइबर तहसीलदार के पास विचारण में है। अर्थात् साइबर तहसीलदार के द्वारा विचारण में लिए गये समस्त मामले संबंधित क्षेत्रीय तहसीलदार, जहाँ पर की प्रश्नाधीन भूमि अवस्थित है, कि वाद सूची में दर्ज होंगे और उन्हें क्षेत्रीय तहसीलदार की वाद सूची से ही प्रकरण क्रमांक प्राप्त होगा।
- 2.4 **साइबर तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विचारण :-** कंडिका 2.1 में वर्णित प्रकार के विक्रय विलेख साइबर तहसीलदार के लॉगिन पर प्ररूप-क, क(1) एवं क(2) तथा मामले की फीस की रसीद के साथ प्रदर्शित होंगे। साइबर तहसीलदार इन्हें प्राप्त 'नये प्रकरण' ब्लाक में जाकर देख सकता है। साइबर तहसीलदार के द्वारा जनरेट इनिशियल आर्डर शीट बटन पर क्लिक करने से आर्डर शीट जनरेट हो जाती है और प्रकरण 'कुल प्रक्रियाधीन प्रकरण' वाले ब्लाक में प्रदर्शित होने लगता है।
- 2.5 **सार्वजनिक नोटिस का जारी किया जाना:-** साइबर तहसीलदार के द्वारा इशतहार जारी करें, वाले बटन को क्लिक करने पर, प्रकरण में सार्वजनिक सूचना/ इशतहार जारी हो जाता है और यह (1) क्षेत्रीय तहसीलदार के रीडर लॉगिन पर (2) पटवारी के सारा लॉगिन पर (3) आरसीएमएस के होमपेज के ई-नोटिस मेन्यू में प्रदर्शित होने लगता है। क्षेत्रीय तहसीलदार का रीडर इशतहार का प्रिंट लेकर तहसील कार्यालय के सूचना पटल, संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के कार्यालय के सूचना पटल पर तामिली करवायेगा और इस आशय की सूचना रीडर लॉगिन पर चैकबाक्स के माध्यम से टिक करके देगा।
- 2.6 **सार्वजनिक नोटिस का SMS के माध्यम से संप्रेषण:-** साइबर तहसीलदार द्वारा RCMS के माध्यम से सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्ररूप-ख में किया जायेगा। इसी के साथ RCMS के द्वारा संबंधित ग्राम के या वार्ड के यथास्थिति 20 से अन्यून अन्य व्यक्तियों को S.M.S. के माध्यम से उनके मोबाइल पर सार्वजनिक सूचना का प्रेषण किया जायेगा जिसमें उपलब्ध कराई गई लिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली आपत्ति दर्ज कराये जाने की सुविधा होगी। आयुक्ल भू-अभिलेख के द्वारा प्रत्येक तिमाही में मोबाइल नंबरों का डाटाबेस कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल को अद्यतन कराया जायेगा।
- 2.7 **आपत्तियों का प्रस्तुत किया जाना:-** कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित नामांतरण में निहित है, और वह आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है, ऑनलाईन आपत्ति आरसीएमएस पोर्टल के होमपेज के ई-नोटिस मेन्यू में जाकर दी गई लिंक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। ऑफलाईन आपत्ति पटवारी या क्षेत्रीय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। पटवारी प्राप्त आपत्ति को अपने प्रतिवेदन के साथ अपलोड कर साइबर तहसीलदार को प्रेषित करेगा। क्षेत्रीय तहसीलदार, रीडर के माध्यम से प्राप्त आपत्ति को ऑनलाईन साइबर तहसीलदार को प्रेषित करेंगे।
- 2.8 **प्रकरण का क्षेत्रीय तहसीलदार के पास निराकरण हेतु प्रेषण :-** आपत्ति प्राप्त होते ही या साइबर तहसीलदार के द्वारा कंडिका-2.1 में वर्णित रीति के विक्रय पत्र न होने की दशा में या पटवारी प्रतिवेदन में प्रतिकूल टीप अंकित होने पर, निराकरण के लिये प्रकरण को क्षेत्रीय तहसीलदार के पास संचारित कर दिया जायेगा। क्षेत्रीय तहसीलदार, साइबर तहसीलदार से मामला/ प्रकरण के प्राप्त होते ही, इस प्रकार सुनवाई करेगा जैसे वह अन्य राजस्व मामलों में करता है।

- 2.9 **पटवारी प्रतिवेदन:-** साइबर तहसीलदार के द्वारा इशतहार जारी करते ही पटवारी की SAARA लागिन पर प्ररूप-क, क-1, क-2 एवं विक्रय विलेख प्रदर्शित होंगे। पटवारी अपना प्रतिवेदन आनलाईन सारा एप के माध्यम से साइबर तहसीलदार को प्रेषित करेगा। पटवारी के द्वारा विहित समयावधि में, जो कि प्रथम वार की दशा में 10 दिवस की है, प्रतिवेदन प्रस्तुत ना करने की दशा में स्मरण कराने के लिए मेमो सारा एप पर प्राप्त होगा। मेमो प्राप्ति के उपरांत 3 दिवस के भीतर पटवारी को अपना प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रेषित करना अनिवार्य है।
- 2.10 **आदेश पारित किया जाना और भू-अभिलेखों में अमल :-** साइबर तहसीलदार के द्वारा पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होते ही, प्रकरण को आदेशार्थ नियत किया जायेगा और निर्धारित तिथि को आदेश अपने ई-हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। आदेश जारी करते ही भू-अभिलेखों में अमल स्वतः ही हो जायेगा और भूमि के क्रेता/ दावेदार को आदेश और अद्यतन भू-अभिलेख की प्रति E-mail के माध्यम से प्रेषित हो जायेगी। जिसे Open कर वह आदेश और अद्यतन भू-अभिलेख की प्रति डाउनलोड कर सकेगा।
- 2.11 **समीक्षा :-** समस्त प्रक्रिया की समीक्षा (पंजीयन से प्रकरण के निराकरण तक) किए जाने हेतु तहसीलदार डैशबोर्ड पर कुल प्राप्त प्रकरण, निराकृत प्रकरण, लंबित प्रकरण से संबंधित विवरण उपलब्ध होगा जहां तदनुसार अवलोकन एवं पर्यवेक्षण किया जा सकता है।
- 2.12 **मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022 में यथा विहित "परन्तु इन नियमों के नियम 5 के उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे" अतएव अभी नियम-4 के अनुसरण में ही कार्यवाही की जाना है।** साइबर तहसील के माड्यूल का यूजर मैनुअल www.rcms.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुए व्यापक प्रचार प्रसार कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

(चन्द्रशेखर चालिम्बे)
प्रभारी प्रमुख राजस्व आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ क्रमांक PRC/IT/04/0029/2021-IT Cell-PRC/8143 भोपाल, दिनांक 14/12/2023
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, भोपाल
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार, जिला (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी प्रमुख राजस्व आयुक्त
मध्यप्रदेश